# Rajasthali Law Institute

**Prelims test series** 

# Transfer of Property Act, Negotiable instruments Act-1

- 1) No judge, legal practitioner or officer connected with any Court of Justice shall buy or traffic in, or stipulate for or agree to receive any share of, or interest in, any actionable claim and
- (a) no court of justice shall enforce at his instance any actionable claim
- (b) court of justice shall enforce any actionable claim
- (c) such court of justice has jurisdiction to try
- (d) none of the above.
- 1) किसी भी न्यायलय से ज्ड़ा कोई भी न्यायाधीश, कानूनी व्यवसायी या अधिकारी किसी भी अन्योग्य दावे को नहीं खरीदेगा या उसमें तस्करी नहीं करेगा, या उसमें कोई हिस्सेदारी या हित प्राप्त करने के लिए अन्बंध नहीं करेगा या सहमत नहीं होगा।
- (ए) न्याय की कोई भी अदालत उसके कहने पर किसी भी अन्योग्य दावे को लागू नहीं करेगी
- (बी) न्याय अदालत किसी भी अनुयोग्य दावे को लागू करेगी (सी) ऐसे न्यायालय के पास मुकदमा चलाने का अधिकार क्षेत्र है
- (डी) उपरोक्त में से कोई नहीं। Estd. 2008

#### 2) The provisions of sections under the Transfer of Property Act?

- (a) shall not apply to stocks shares debentures to or instruments negotiable or mercantile documents or are
- (b) shall apply to negotiable instruments

- (c) shall apply subject to certain conditions
- (d) same provisions shall apply.
- 2)संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत धाराओं के प्रावधान?
- (ए) स्टॉक, शेयर, डिबेंचर, परक्राम्य उपकरणों या व्यापारिक दस्तावेजों पर लागू नहीं होगा या हैं
- (बी) परक्राम्य लिखतों पर लागू होगा
- (सी) कुछ शर्तों के अधीन लागू होगा
- (डी) सँमान प्रावधान लागू होंगे।
- 3) The Transfer of Property Act, 1882, defines the phrase "attached to earth" but gives no definition of immovable property beyond excluding standing similar growing crops and grass
- (a) these are no doubt excluded because they are only useful as timber, corn and fodder after they are severed from the land
- (b) there are excluded because they are not severed from land
- (c) timber is not a subject under the Act
- (d) crops are not a subject under the Act.
- 3) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882, "भूमि से जुड़ी" वाक्यांश को परिभाषित करता है, लेकिन समान रूप से उगने वाली फसलों और घास को छोड़कर स्थावर संपत्ति की कोई परिभाषा नहीं देता है।
- (ए) इन्हें निस्संदेह बाहर रखा गया है क्योंकि भूमि से अलग होने के बाद ये केवल लकड़ी, मक्का और चारे के रूप में उपयोगी हैं
- (बी) उन्हें बाहर रखा गया है क्योंकि वे भूमि से कटे नहीं हैं
- (सी) लकड़ी अधिनियम के तहत एक विषय नहीं है
- (डी) फसलें अधिनियम के तहत एक विषय नहीं है।
- 4). A "benefit to arise out of land" under the Transfer of Property Act, 1882, is an interest in land and therefore:
- (a) immovable property
- (b) movable property

- (c) not a subject under the Transfer of Property Act, 1882
- (d) land is not a provision under the Transfer of Property Act, 1882.
- 4). संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के तहत "भूमि से उत्पन्न होने वाला लाभ" भूमि में हित है और इसलिए:
- (ए) स्थावर संपत्ति
- (बी) जंगम संपत्ति
- (सी) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के तहत एक विषय नहीं है
- (डी) भूमि संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के तहत एक प्रावधान नहीं है।

#### 5)As a policy the possession is the?

- (a) five point ownership
- (b) seven point ownership
- (c) nine point ownership
- (d) ten point ownership.
- 5) पॉलिसी के रूप में कब्ज़ा क्या है?
- (ए) पांच सूत्री स्वामित्व
- (बी) सात सूत्री स्वामित्व
- (सी) नौ सूत्री स्वामित्व
- (डी) दस सूत्री स्वामित्व।

# 6)The principle of Lis pendens embodied the Transfer of Property Act, 1882

- a) Bona fide purchase
- b) Public policy
- c) Auction sale
- d) None of the above.
- 6) लिस पेंडेंस के सिद्धांत ने संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 को मूर्त रूप दिया

- ए) प्रामाणिक खरीद
- बी) सार्वजनिक नीति

- सी) नीलामी बिक्री
- डी) उपरोक्त में से कोई नहीं।

#### 7) Section 44 of the Transfer of Property Act, 1882, deals with:

- a) Transfer by two Co-owner
- b) Transfer by one Co-owner
- c) Transfer by 3 Co-owners
- d) Transfers by all Co-owners

### 7) संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 44, संबंधित है:

- ए) दो सह-मालिकों द्वारा अंतरण
- बी) एक सह-मालिक द्वारा अंतरण
- सी) 3 सह-मालिकों द्वारा अंतरण
- डी) सभी सह-मालिकों द्वारा अंतरण
- 8)The transfer by ostensible owner is provided in ......section of the Transfer of Property Act, 1882
- a) Section 38
- b) Section 39
- c) Section 40
- d) Section 41
- 8) दृश्यमान मालिक द्वारा अंतरण संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा में प्रदान किया गया है।
- ए) धारा 38
- बी) धारा 39
- सी) धारा 40
- डी) धारा 41

Estd. 2008

9)B transfers some property to C with a condition that in case A marries during B's lifetime the property will go to

# B. A marries during B's life. Which of the following statements will apply?

- a)The transfer to C is void and property reverts back to B
- b) The transfer and condition are valid, and the property will transfer to  $\boldsymbol{\Delta}$
- c) The transfer is valid, but condition is invalid
- d) The transfer is voidable at C's option
- 9) बी कुछ संपत्ति सी को इस शर्त के साथ अंतरित करता है कि यदि ए बी के जीवनकाल के दौरान शादी करता है तो संपत्ति सी को मिल जाएगी बी. ए, बी के जीवनकाल के दौरान विवाह करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा?
- ए) सी को स्थानांतरण शून्य है और संपत्ति वापस B को वापस कर दी जाती है
- बी) अंतरण और शर्तें वैधे हैं, और संपत्ति ए को अंतरित हो जाएगी
- सी) अंतरण वैध है, लेकिन शर्त अमान्य है
- डी) सी के विकल्प पर अंतरण शून्यकरणीय है

# 10). Condition restraining alienation is void. But it is an exception?

- a) Lease
- b) Mortgage
- c) Gift
- d) All of the above
- 10). अंतरण को रोकने वाली शर्त शून्य है। लेकिन एक अपवाद है?

Estd. 2008

- ए) एक पट्टा
- बी) बंधक
- सी) दान
- डी) उपरोक्त सभी

#### 11)Revocation of gift is provided under-

a) Sec.126

- b) Sec. 127
- c) Sec. 128
- d) Sec. 129
- 11) दान का निरसन निम्नलिखित के अंतर्गत प्रदान किया जाता है-
- ए) धारा 126
- बी) धारा 127
- सी) धारा 128
- डी) धारा 129

# 12)A seller is estopped from denying the fact that he was not the owner at the time of transfer. This doctrine is called-

- a) Doctrine of Feeding the Grant by Estoppel
- b) Doctrine of promissory estoppel
- c) Doctrine of Colourable Legislation
- d) None of the above
- 12) विक्रेता को इस तथ्य से इनकार करने से रोका गया है कि अंतरण के समय वह मालिक नहीं था। इस सिद्धांत को कहा जाता है-
- ए) विबंध द्वारा अन्दान खिलाने का सिद्धांत
- बी) वचनविबंध का सिद्धांत
- सी) संभाव्य विधान का सिद्धांत
- डी) इनमे से कोई भी नहीं

# 13). परक्राम्य लिखत अधिनियम कब से प्रवर्तन में है / When did the Negotiable Instrument Act came into force?

- (a) 1 मार्च, 1882 से/ from march 1st,1882
- (b) 10 मार्च, 1882 से/ from March 10, 1882
- (c) 15 मार्च, 1882 से/ from March 15,1882
- (d) 25 मार्च, 1882 से/from March 25,1882

- 14)परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 को अधिनियमित किया गया है?। Negotiable Instruments Act, 1881 enacted?
- (a) 2 दिसम्बर, 1881/ December 2, 1881
- (b) 7 दिसम्बर, 1881/ December 7, 1881
- (c) 9 दिसम्बर, 1881/ December 9, 1881
- (d) 11 दिसम्बर, 1881/ December 11, 1881
- 15)परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत कौन सा परक्राम्य लिखत नहीं है? / Under the Negotiable Instrument Act, 1881 which is not a negotiable instrument?
- (a) बंधपत्र / Bond
- (b) वचन पत्र / Promissory note
- (c) विनिमय पत्र / Bill of exchange
- (d) चेक / cheque
- 16)परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत, भारत में लिखित या रचित और भारत में देय या भारत में निवासरत व्यक्ति पर लिखित वचन-पत्र, विनिमय- पत्र या चेक समझा जाएगा। / Under section 11 of the Negotiable Instruments Act, a promissory note, bill of exchange or cheque drawn or made in India, and made payable in, or drawn upon any person resident in India shall be deemed to be an
- (a) अंतर्देशीय लिखत / Inland instrument
- (b) विदेशी लिखत / foreign instrument
- (c) परक्रामित लिखत / Negotiated instrument
- (d) पृष्ठाकंन / Indorsement
- 17)परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत परक्राम्य लिखत का पृष्ठांकन कौन कर सकता है? Who may indorse the negotiable instrument under the Negotiable Instrument Act?
- (a) एकल रचयिता / sole maker
- (b) लेखीवाल / drawer
- (c) पाने वाला / payee

- (d) उपरोक्त सभी / All of the above
- 18)परक्राम्य लिखत का हर पूर्विक पक्षकार सम्यक-अनुक्रम के प्रति तब तक उसके आधार पर दायी है जब तक उस लिखत की सम्यक रुप से तुष्टि न की जाए। / Every prior party to a negotiable instrument is liable thereon to a Holder in due course until the instrument is duly satisfied.
- (a) धारक / holder
- (b) बैंक / bank
- (c) पृष्ठांकक / endorser
- (d) न्यायालय / court
- 19)परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 143 के अधीन संक्षिप्त विचारण में किसी दोषसिद्धि की दशा में, मजिस्ट्रेट के लिए ऐसे कारावास का, जिसकी अवधि से अधिक नहीं होगी और ऐसे जुर्माने का जिसकी रकम रुपए से अधिक होगी, दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण होगा: / In the case of any conviction in a summary trial under section 143 of the Negotiable Instrument Act, it shall be lawful for the Magistrate to pass a sentence of imprisonment for a term not exceeding exceeding and an amount of fine
- (a) एक वर्ष, पांच हजार / one year, five thousand
- (b) दो वर्ष, दस हजार / two years, ten thousand
- (c) तीन वर्ष, पच्चीस हजार / three years, twenty-five thousand
- (d) पांच वर्ष, पचास हजार / five years, fifty thousand
- 20)धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही में किस प्रतिरक्षा की अनुमति नहीं दी जाएगी? / Proceedings under section 138 negotiable instrument act which defence shall not be allowed?
- (a) चैक लेखीवाल द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है / the cheque is not signed by drawer
- (b) परिवादी नियत समय में धारक या सम्यक अनुक्रम में धारक नहीं है। Complainant is not holder or holder in due course

- (c) लेखीवाल के पास यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि जब उसने चैक जारी किया तो यह अनादरित हो सकता है / Drawer had no reason to believe when he issued the cheque it may be dishonored
- (d) उन्होंने विधिक दायित्व के निर्वहन में चैक जारी नहीं किया था / He had not issued the cheque in discharge of legal liability
- 21)परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाही के विरुद्ध क्या प्रतिरक्षा उपलब्ध हैं? / What are the defences available against proceedings under section 138 of the Negotiable Instrument Act?
- (a) विधिक प्रवर्तनीय ऋण या दायित्व का अभाव / Absence of a legal enforceable debt or liability
- (b) 15 दिन के विधिक नोटिस का अभाव / Absence of legal notice of 15 days
- (c) क्षेत्राधिकार का अभाव / Lack of jurisdiction
- (d) उपरोक्त सभी / all of the above
- 22)परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत परिवाद दायर करने में हुई देरी को क्षम्य किया जा सकता है / The delay in filing a complaint under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 can be condoned-
- (a) भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के अंतर्गत / Under Section 5 of the Indian Limitation Act, 1963
- (b) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 141 के अंतर्गत / under Section 141 of the Negotiable Instruments Act, 1881
- (c) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 142 के अंतर्गत / under Section 142 of the Negotiable Instruments Act, 1881
- (d) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 143 के अंतर्गत / under Section 143 of the Negotiable Instruments Act 1881
- 23)परक्राम्य लिखत अधिनियम की कौन सी धारा चैक अनादरण के बारे में प्रावधान करती है- / Which section of the Negotiable Instruments Act provides for dishonour of cheque-

- (a) धारा 149/ Section 149
- (b) धारा 138/ Section 138
- (c) धारा 150/ Section 150
- (d) धारा 152/ Section 152

24)परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अन्तर्गत अपने बैंक से चैक के अनादरण की सूचना प्राप्त होने पर चैक को पाने वाले के द्वारा लेखीवाल को लिखत में एक माँग की नोटिस किस अवधि के अन्दर दी जानी होती है -/ Under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881, on receipt of a notice of dishonour of a cheque from his bank, a notice of demand in writing has to be given by the payee of the cheque to the drawer within which period -

- (a) 15 दिन/15 days
- (b) 30 दिन/30 days
- (c) 60 दिन/60 days
- (d) उपरोक्त में कोई नही/ None of the above
- 25). परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सा परन्तुक खण्ड चैक के भुगतान में विफलता की स्थिति में 15 दिनों की नोटिस दिए जाने की मांग करता है? / Which one of the following proviso clauses under section 138 of the Negotiable Instruments Act seeks to give 15 days notice in case of failure to pay the cheque?
- (a) खण्ड-क/ Clause A
- (b) खण्ड ख/ Clause B
- (c) खण्ड ग/ Clause C
- (d) खण्ड घ/ Clause D

26)परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत एक न्यायिक मजिस्ट्रेट, के द्वारा दिए जा सकने वाले अधिकतम अर्थदण्ड की राशि क्या होती है- / What is the maximum amount of fine that can be imposed by a Judicial Magistrate, under section 138 of the Negotiable Instruments Act-

(a) चैक की राशि की दोग्नी राशि / double the amount of the cheque

- (b) बीस हजार / twenty thousand
- (c) एक लाख / one lakh
- (d) दस हजार / ten thousand

27)परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की निम्नलिखित धाराओं में से कौनसी उपधारणा धारक के पक्ष से संबंधित है / Which of the following sections of the Negotiable Instruments Act, 1881 deals with presumption in favour of a holder?

- (a) धारा 143 / Section 143
- (b) धारा 144 / Section 144
- (c) धारा 139 / Section 139
- (d) उपरोक्त सभी / All of the above

28) चैक जारी करते समय लेखीवाल को यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि प्रस्तुत किये जाने पर चैक धारा-138 में वर्णित कारणों के आधार पर अनावृत हो जाएगा। धारा-138 के अंतर्गत अपराध के अभियोजन में / In a prosecution for an offence under Section 138 that the drawer had no reason to believe when he issued the cheque that the cheque may be dishonoured on presentation for the reasons stated in section 138-

- (a) सही प्रतिवाद होगा / it shall be right defence
- (b) प्रतिवाद नहीं होगा / it shall not be a defence
- (c) परिस्थितिजन्य प्रतिवाद होगा / will be circumstantial defence
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / neither of the above

29)परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141 का सम्बन्ध निम्नलिखित में से किसके द्वारा कारित अपराधों से है / Section 141 of the Negotiable Instruments Act deals with offences committed by which of the following -

- (a) सरकारी कर्मचारियों / Government servants
- (b) व्यक्ति एवं कम्पनियाँ दोनों / both individuals and companies.
- (c) केवल व्यक्ति / Individuals only

### (d) कंपनियाँ / Companies

- 30)परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 141 के प्रयोजनार्थ 'कंपनी' का अर्थ है- / For the purposes of section 141 of the Negotiable Instruments Act, 1881, "company" means-
- (a) कोई भी निगमित निकाय / any body corporate
- (b) एक फर्म / a firm
- (c) व्यक्तियों के अन्य संगम / other associations of individual
- (d) उपरोक्त सभी / All of the above
- 31)यह प्रावधान, कि 'महानगर मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय धारा 138 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा' किस धारा में मौजूद है -/ The provision that 'no court inferior to that of a Metropolitan Magistrate or a Judicial Magistrate of the first class shall try any offence punishable under section 138' is present in which section -
- (a) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 142 के खण्ड (ख) / Clause (b) of section 142 of the Negotiable Instruments Act, 1881
- (b) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 142 के खण्ड (क) / Clause (a) of section 142 of the Negotiable Instruments Act, 1881
- (c) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 142 के खण्ड (ग) / Clause (c) of section 142 of the Negotiable Instruments Act, 1881
- (d) परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 143/ Section 143 of the Negotiable Instruments Act, 1881
- 32)परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध के विरूद्ध किया गया परिवाद / Complaint made against an offence under section 138 of the Negotiable Instruments Act -
- (a) लिखित में होनी चाहिए / should be in writing
- (b) मौखिक अथवा लिखित में होनी चाहिए / should be oral or in writing
- (c) मजिस्ट्रेट के समक्ष मौखिक कथन हो सकती है / may be an oral statement before a magistrate

- (d) उपरोक्त सभी / All of the above
- 33)परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अधीन परिवाद उस तारीख के के भीतर किया जाता है, जिसको धारा 138 के परंतुक के खंड (ग) के अधीन वाद हेतुक उद्भूत होता है-/ such complaint is made within of the date on which the cause of action arises under clause (c) of the proviso to section 138-
- (a) 15 दिन/15 days
- (b) 30 दिन/30 days
- (c) 60 दिन/60 days
- (d) उपरोक्त में कोई नही / None of the above
- 34)लंबित मामलों के अंतरण का विधिमान्यकरण उपबंधित है / Provided for validation for transfer of pending cases-
- (a) धारा 141 / Section- 141
- (b) धारा 141 क / Section- 141A
- (c) धारा 146 क / Section 146A
- (d) धारा 142क / Section- 142A
- 35)संक्षिप्त विचारण परिवाद को दाखिल करने की तारीख से के भीतर समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा / An endeavor shall be made to conclude the summary trial within filing complaint - from the date of
- (a) तीन मास / three months
- (b) एक वर्ष / one year
- (c) छः मास / six months
- (d) दो वर्ष / two years
- 36)परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के अंतर्गत एक अपराध के संक्षिप्त विचारण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 262 तथा 265 के प्रावधान / In the trial of an offence under section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881, the provisions of sections 262 and 265 of the Code of Criminal Procedure -

- (a) लागू होंगे / will apply
- (b) लागू नहीं होंगे / will not apply
- (c) कभी-कभी लागू होंगे / will sometimes apply
- (d) उपरोक्त में से कोई नही / None of the above
- 37)अध्याय-17 के अधीन सभी अपराधों का विचारण किया जाएगा / All offences under Chapter-17 shall be tried by-
- (a) प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा / Judicial Magistrate of the first class
- (b) महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा / by the Metropolitan Magistrate
- (c) (a) या (b) द्वारा / by (a) or (b)
- (d) द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा / by a Judicial Magistrate of the second class
- 38)धारा-143 (क) के अधीन अंतरिम प्रतिकर चैक की धनराशि के से अधिक नहीं होगा। / The interim compensation under section 143(a) shall not exceed of the amount of the cheque.
- (a) 20 प्रतिशत / 20 percent
- (b) 10 प्रतिशत / 10 percent
- (c) 15 प्रतिशत / 15 percent
- (d) 25 प्रतिशत / 25 percent
- 39)यदि चैक का लेखीवाल दोषमुक्त हो जाता है तो न्यायालय परिवादी को अंतरिम प्रतिकर की धनराशि को लेखीवाल को पूर्वभुगतान आदेश की तिथि से दिनों के भीतर करने का निर्देश देगा। / If the drawer of the cheque is acquitted, the Court shall direct the complainant to repay the amount of interim compensation to the drawer within days from the date of the repayment order.
- (a) 35 दिनों के भीतर / within 35 days
- (b) 45 दिनों के भीतर / within 45 days
- (c) 60 दिनों के भीतर / within 60 days
- (d) 90 दिनों के भीतर / within 90 days

- 40)अभियुक्त या साक्षी को समन जारी करने वाला मजिस्ट्रेट समन की प्रतिलिपी को ऐसे स्थान पर तामील किए जाने का निर्देश दे सकेगा, जहाँ- / The Magistrate issuing summons to an accused or witness may direct a copy of the summons to be served at a place where-
- (a) ऐसा अभियुक्त या साक्षी निवास करता है / such accused or witness resides
- (b) कारबार करता है / carries on business
- (c) व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कारबार करता है / personally work for gain
- (d) उपरोक्त सभी / All of the above
- 41)समन की तामीली का ढंग उपबंधित है / The mode of service of summons is provided-
- (a) धारा- 138 / Section-138
- (b) धारा 142 / Section-142
- (c) धारा 143 / Section-143
- (d) धारा 144 / Section-144
- 42)बैंक की पर्ची कतिपय तथ्यों का प्रथम दृष्टया साक्ष्य है- / Bank's slip is prima facie evidence of certain facts-
- (a) सत्य / True
- (b) असत्य / false
- (c) आंशिक सत्य / partial true
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above
- 43)परक्राम्य लिखत अधिनियम के अंतर्गत अपराध /Offences under Negotiable Instruments Act- ?
- (a) शमनीय होते हैं/ are compoundable
- (b) असंज्ञेय तथा संज्ञेय होते हैं/ are non-cognizable and cognizable
- (c) संज्ञेय तथा अशमनीय होते हैं/ are cognizable and non- compoundable
- (d) असंज्ञेय तथा अशमनीय होते हैं / are non-cognizable and non-compoundable

44)दोषसिद्धि के विरूद्ध लेखीवाल द्वारा की गयी अपील में अपील न्यायालय अपीलार्थी को ऐसी धनराशि जमा करने का आदेश कर सकेगा जो विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत्त जुर्माने या प्रतिकर का होगा / In an appeal preferred by drawer against conviction, under section 138, the Appellate Court may order the appellant to deposit such amount as may be of the fine or compensation awarded by the trial court-?

- (a) 20 प्रतिशत / 20 percent
- (b) 10 प्रतिशत / 10 percent
- (c) 15 प्रतिशत / 15 percent
- (d) 25 प्रतिशत / 25 percent

45)धारा-148 के अधीन भुगतान की जाने वाली राशि अपीलार्थी द्वारा धारा 143-क को अधीन भुगतान की गयी किसी अंतरिम प्रतिकर के / The amount payable under section-148 to any interim compensation paid by the appellant under Section 143-A shall be -

- (a) अंर्तनिहित होगी / will be implicit
- (b) अतिरिक्त होगी / shall be in addition
- (c) दुगुनी होगी / will double
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं / None of the above
- 46)अपील न्यायालय अपीलार्थी द्वारा निक्षिप्त राशि को परिवादी को निर्मुक्त किये जाने का निर्देश कर सकेगा / The Appellate Court may direct the release of the amount deposited by the appellant to the complainant-
- (a) अपील के लिम्बत रहने के दौरान किसी भी समय / at any time during the pendency of the appeal
- (b) अपील के निस्तारण के पश्चात् / after disposal of appeal
- (c) अपील स्वीकृति के समय / At the time of acceptance of appeal
- (d) ऐसा कोई निर्देश नहीं कर सकेगा / no one can instruct

- 47)परक्राम्य लिखत अधिनियम के तहत "विनिमय- पत्र" को परिभाषित किया गया है-/Under Negotiable Instruments Act, "Bill of Exchange" is defined under
- (a) धारा 5/Section 5
- (b) धारा 10/Section 10
- (c) धारा 12/Section 12
- (d) धारा 13/Section 13
- 48)अभिव्यक्ति "इलैक्ट्रानिक रूप में चेक" को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत परिभाषित किया गया हैः / The term "a cheque in the electronic form" is defined in the Negotiable Instruments Act, 1881 under:
- (a) धारा 6 (क)/Section 6(a)
- (b) धारा 6 (ख)/Section 6(b)
- (c) धारा 6 स्पष्टीकरण । (क) / Explanation (a) of Section 6
- (d) इनमें से कोई नहीं/ None of these
- 49)अभिव्यक्ति 'परक्राम्य लिखत' को परक्राम्य लिखत अधिनियम में परिभाषित किया गया है- / The term 'negotiable instrument' is defined in the Negotiable Instrument Act, under
- (a) धारा 2(d)/Section 2(d)
- (b) धारा 12/Section 12
- (c) धारा 13/Section 13
- (d) धारा 13क/Section 13A
- 50)सभी चैक विनिमय पत्र है, परंतु सभी विनिमय पत्र चैक नहीं-/All cheques are bill of exchange, but all bills of exchange are not cheques
- (a) गलत/False
- (b) आंशिक सही एवं आंशिक गलत/Partly true and partly false
- (c) सही/True
- (d) इनमें से कोई नहीं / None of the above

- 51)वह व्यक्ति जो मूल्यवान प्रतिफल के लिए सद्भावपूर्वक परक्राम्य लिखत प्राप्त करता है, कहलाता है । A person who receives a negotiable instrument in good faith for valuable consideration is known as
- (a) मूल्य का धारक / holder of value
- (b) धारक/holder
- (c) अधिकारों का धारक/holder in rights
- (d) सम्यक्-अन्क्रम-धारक / holder in due course
- 52)परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 13 के अन्सार कौन-सा "परक्राम्य लिखत" नहीं है?/According to Section 13 of the Negotiable instruments Act, 1881 which is not Instrument"?
- (a) ऋण विलेख/Instrument of Debt
- (b) प्रोमिसरी नोट/Promissory Note
- (c) विनिमय पत्र/Bill of exchange
- (d) चैक/Cheque
- 53)परक्राम्य लिखत के प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त समय के निर्धारण में-/ In determining reasonable time for the purpose of a negotiable instrument?
- (a) लोक अवकाशों को छोड़ दिया जाता है/public holidays are excluded
- (b) लोक अवकाशों को शामिल किया जाता है/public holidays are included
- (c) केवल बैंकों द्वारा की गई छुट्टियां / only the holidays observed by banks
- (d) इनमें से कोई नहीं / None of the above
- 54)परक्राम्य लिखत अधिनियम की कौन-सी धारा उपधारणा से संबंधित है? / Which of the following Section of Negotiable Instruments Act is related with presumption? Estd. 2008
- (a) धारा 119/Section 119
- (b) धारा 137/Section 137
- (c) धारा 139/Section 139
- (d) उपरोक्त सभी /All of these

- 55)परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 मैक के अनादरण के मामले में दण्ड का प्रावधान करती है, यदि इसे तीन माह की अवधि के भीतर बैंक में प्रस्तुत किया जाता है: / Section 138 of the Negotiable Instruments Act provides penal provisions in case of dishonour of cheque, if it is presented to the Bank within a period of three months:
- (a) उस दिनांक से जब उसे लिखा जाता है/from the date on which it is drawn only
- (b) पाने वाले द्वारा मांग किये जाने की दिनांक से / from the date on which payee makes demand
- (c) पाने वाले की डिमांड स्वीकार किये जाने की दिनांक से/from the date on which demand of payee accepted
- (d) उस दिनांक से जब इसे लिखा गया अथवा उसकी वैधता की दिनांक से जो भी पहले हो/from the date on which it is drawn or within the period of its validity whichever is earlier
- 56)परक्राम्य लिखित अधिनियम की धारा 139 के तहत उपधारणा निम्न में से किसके सम्बन्ध में की जाती है-/Presumption under Section 139 of the Negotiable Instruments Act, 1881 is in respect of -?
- (a) कि चैक पर अभियुक्त द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे/That the cheque was signed by the accused
- (b) कि चैक को बैंक द्वारा अनादरित कर दिया गया/That the cheque was dishonoured by the banker
- (c) कि चैक किसी ऋण के उन्मोचन में जारी किया गया था/That the cheque was issued for discharge of any debt
- (d) कि चैक बैंकिंग कानून के तहत वैध है/ That the cheque is valid under banking laws
- 57)बैंक स्लिप प्रस्तुत किए जाने पर चैक अनादरण के संबंध में उपधारणा होती है-/The presumption regarding dishonour of a cheque on production of a bank slip is ?
- (a) खण्डनीय/rebuttable

- (b) अखण्डनीय/irrebuttable
- (c) निर्णायक सब्त/conclusive proof
- (d) उपरोक्त में से कोई नहीं/ none of the above

58)परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत अपर्याप्त राशि के कारण चैक का भुगतान नहीं होने की स्थिति में लेखिवाल के रूप में अभियोजित किया जा सकता है: / Who as the drawer of a cheque can be prosecuted for non- payment of the cheque due to insufficient funds under section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881:

- (a) केवल जीवित व्यक्ति / Only a human being
- (b) केवल एक निगमित निकाय/Only a body corporate
- (c) केवल फर्म/Only a firm
- (d) उपरोक्त सभी/All of these

59)परक्राम्य लिखत अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन-सी धारा प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट को अपर्याप्त राशि आदि के कारण चैक अनादरण संबंधी अपराध का विचारण करने के लिए सशक्त करती है?/Which one of the following Sections of the Negotiable Instruments Act empowers the Judicial Magistrate of the First Class or Metropolitan Magistrate to try the offence relating to dishonour of cheque for insufficiency etc.?

- (a) धारा 143 (1)/Section 143(1)
- (b) धारा 143 (2)/Section 143(2)
- (c) धारा 143 (3)/Section 143(3)
- (d) धारा 143(4)/Section 143(4)

60)अधिनियम की धारा 138 के तहत दोषमुक्ति के विरूद्ध परिवादी को अपील कौन-से न्यायालय में, दायर की जानी चाहिए? / In which Court, the complainant has to file an appeal against the order of acquittal under Section 138 of the Act?

- (a) सत्र न्यायालय / Court of Session
- (b) उच्च न्यायालय/High Court

- (c) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट /Chief Judicial Magistrate
- (d) या तो सत्र न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय /Either Court of Session or High Court
- 61)सर्वीच्च न्यायालय ने निम्निलिखित में से कौन-से मामले में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज प्रकरणों के त्वरित एवं शीघ्र निस्तारण करने के दाण्डिक न्यायालयों को निर्देश दिये है: / Supreme Court has laid down certain directions to criminal courts for speedy and expeditious disposal of cases falling under Section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 in the case of:
- (a) इण्डियन बैंक एसोसिएशन व अन्य बनाम भारत संघ/Indian Bank Association & Ors vs Union of India
- (b) रंगप्पा बनाम मोहन / Rangappa V. Mohan
- (c) ऐसोसिएटेड सीमेंट कॅपनी लिमिटेड बनाम केशवानंद / Associated cement company limited v. Keshwanand
- (d) के भास्करन बनाम एस.वी. बालान /K Bhaskaran v. S.V balan
- 62)सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले में निर्णित किया कि जहां न्यायालय द्वारा निर्धारित ब्याज और अर्थदण्ड के साथ चेक राशि का भुगतान एक निर्दिष्ट तिथि तक कर दिया जाता है. न्यायालय अधिनियम की धारा 143 सपठित धारा 258 द.प्र.सं. के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए न्यायालय कार्यवाहियों को बंद करने का हकदार होगा। वह केस था / In a recent case Supreme Court has held that where the cheque amount with interest and cost as assessed by the Court is paid by a specified date, the Court is entitled to close the proceedings in exercise of its powers under Section 143 of the Act read with Section 258 Cr. P.C. That case is ?
- (a) मैसर्स मेटर्स एवं इंस्ड्रुमेंटस प्रा.िल. एवं अन्य बनाम कंचन मेहता/M/s Meters and Instruments Pvt. Ltd. & Anr. vs. Kanchan Mehta
- (b) के. एम. इब्राहिम बनाम के. पी. मोहम्मद व अन्य / K.M. Ibrahim V.K.P. Mohammad and other

- (c) दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबलाल एच. शाह/ Damodar S. Prabhu V.Sayed Babalal H.Shah
- (d) मध्य प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस प्राधिकारी बनाम प्रतीक जैन / M.P. State Legal Service Authority v. Prateek Jain
- 63)परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 143 के तहत किसे मामले के संक्षिप्त विचारण की शक्ति हासिल नहीं है?/ Under Section 143 of the Negotiable Instruments Act, 1881, who does not have the power to try case summarily.
- (a) द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट/Judicial Magistrate Second Class
- (b) प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट/Judicial Magistrate First Class
- (c) महानगर Magistrate मजिस्ट्रेट /Metropolitan magistrate
- (d) (b) अथवा (c)/(b) or (c)
- 64)धारा 146 के अनुसार, न्यायालय अधिनियम के अध्याय 17 के तहत कार्यवाहियों के संबंध में, ......प्रस्तुत किए जाने पर, इस तथ्य की उपधारणा करेगा कि चैक का अनादरण हुआ है/As per Section 146, the Court in respect of proceedings under Chapter XVII of the Act, shall on the production of......presume the fact that cheque has been dishonoured.
- (a) बैंक स्लिप/Banks slip
- (b) आधिकारिक चिहन वाला मेमो /Memo having official mark
- (c) कोई दस्तावेज/Any document
- (d) (a) अथवा (b)/(a) or (b)
- 65)How many witnesses is required for the Attestation under the act?

- a)Two or more witness
- b) Three or more witness
- c) Minimum five witness
- d) Minimum one
- 65) अधिनियम के तहत सत्यापन के लिए कितने साक्षियों की आवश्यकता है?

- ए) दो या दो से अधिक साक्षी
- बी) तीन या अधिक साक्षी
- सी) कम से कम पाँच साक्षी
- डी) न्यूनतम एक

#### 66) Which is not an actionable claim?

- a) Mesne profit
- b)Claim for arrears of rent
- c)Share in partnership
- d) Provident fund

## 66) कौन सा अनुयोज्य दावा नहीं है?

- ए) अन्तकालीन लाभ
- बी) बकाया किराये का दावा
- सी) साझेदारी में हिस्सा लें
- डी) भविष्य निधि

# 67)A debt secured by a mortgage of immovable property, is an actionable claim?

- a) Yes
- b) No
- c) Depends
- d) None of the above.

### 67) स्थावर संपत्ति के बंधक द्वारा सुरक्षित किया गया ऋण, अनुयोज्य दावा है?

Estd. 2008

- ए) हाँ
- बी) नहीं
- सी) निर्भर करता है
- डी) इनमे से कोई भी नहीं।

#### 68) Which is not an immovable property under TPA?

a) Land

- b) Benefits to arise out of land
- c) Things attached to earth
- d) Standing timber
- 68) सं.अं.अ के तहत कौन सी स्थावर संपत्ति नहीं है? ए)भूमि
- बी) भूमि से लाभ होगा सी)धरती से जुड़ी चीजें
- डी) खड़ी लकड़ी

#### 69) Under TPA, a minor-?

- a) Can transfer property
- b) Can accept transfer of property in his favor
- c) Both (a) and (b)
- d) Neither (a) nor (b)
- 69) सं.अं.अ के तहत, एक नाबालिग-?
- ए) संपति का अंतरण कर सकते हैं
- बी) संपत्ति का अंतरण अपने पक्ष में स्वीकार कर सकते हैं
- सी) A और B दोनों)
- डी) ए और बी दोनों नहीं)

# 70) On transfer for his benefit, an unborn person acquires vested interest:

- a) Upon his birth
- b) After one year of his birth
- c) On attaining majority
- d) No provision
- 70) अपने लाभ के लिए अंतरण पर, एक अजन्मा व्यक्ति निहित स्वार्थ प्राप्त करता है:
- ए) उनके जन्म पर

- बी) उनके जन्म के एक साल बाद
- सीं) बालिग होने पर
- डी) कोई प्रावधान नहीं



1-a

2-a

3-a

4-a

5-c







Estd. 2008